उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या- 17/2021/आई/110348/2021-फा0नं0-10-22099/190/2020-22
लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021

<u>कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र</u>

शासनादेश दिनांक 18-07-2017 एवं शासनादेश दिनांक 04-09-2017 के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-16/2021/आई/109314/2021-फा0नं0-10-22099/190/2020-22, दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-2 की द्वितीय पंक्ति में त्रुटिवश "दिनांक 01-01-2016" के स्थान पर "दिनांक 01-01-2006" टंकित हो गया है।

2- उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 की द्वितीय पंक्ति में "दिनांक 01-01-2006" के स्थान पर "दिनांक 01-01-2016" पढ़ा जाये तथा शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश की शेष व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 17/2021/आई/110348/2021-फा0नं0-10-22099/190/2020-22 (1), तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त जिलाधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त वित्त नियन्त्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।